## ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द,प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त | 3 DAYS 100/- | 15 DAYS 500/- | 1 MONTH 1000/- |
| डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) | 1 DAYS 500/- | 7 DAYS 1800/- | 1 MONTH 3000/- |
| पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित | Size 8x1 | Rs. 500/- | |
| गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई | Size 8x1 | Rs. 1000/- | |
| वैवाहिक | Size 6x1 | Rs. 500/- | |
| नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया | Display Classified Rate | | |
| वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द | Rs. 500/- | | |

**Contact:-**
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.


# चेतकपुरी, झांसी रोड, एयरटेल ऑफिस के बाद हनुमान चौराहे पर आज धंसी सड़क

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 3 जुलाई.** शहर में सड़कें एक एक कर धंस रही हैं। इस बार शहर के हनुमान चौराहा वाली रोड धंस गई हैं। जिसमें गहरा गड्ढा हो गया है। एक ओर नगर निगम के अफसर दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है और दूसरी ओर लगातार सड़कों का धंसकना जारी बना हुआ है। गुरुवार को हनुमान चौराहा रोड सीवर लाइन से धंसक गई, जिसके बाद नगर निगम के अफसरों ने इसकी कोई सुध नहीं ली।

हालांकि नई सड़क पर निगमकर्मी सड़क में गिट्टी भरते नजर आए, पर हनुमान चौराहा पर गड्ढों को नहीं भरा गया। वहीं शहर में 2400 मीटर लंबी सड़क के 18 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में शामिल चेतकपुरी रोड बनने के बाद 8 बार धंसक चुकी है, जिसमें वाहन फंस रहे हैं। इसी तरह बीते रोज झांसी रोड थाने के पास व सिटी सेंटर एयरटेल दफ्तर के पास और आनंद नगर में सड़क धंसक चुकी है, जिसमें मिनी ट्रक व बस फंस गई थी।

### यह सड़कें हुई गड्ढों में तब्दील

शहर के शिंदे की छावनी, फूलबाग, गुढ़ा-गुढ़ी नाका, कंपू, हनुमान चौराहा, बाड़ा रोड जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या इन सड़कों पर अब आम हो गई है। नगर निगम सड़कों की मरम्मत का तो दावा कर रही है, फिर भी समस्या खत्म नहीं हो रही हैं।

### आज आएंगे प्रभारी मंत्री सिलावट

शुक्रवार को प्रभारी मंत्री का संभावित ग्वालियर दौरा बताया जा रहा है। जिसमें वह शहर की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इसमें खासकर वह चेतकपुरी रोड देखेंगे, जो अब तक सबसे ज्यादा बार धंसी है। इसके बाद वह अन्य सड़कों का भी निरीक्षण करेंगे। प्रभारी मंत्री सिलावट के पास लगातार सड़कों के धंसने की शिकायतें पहुंच रही हैं।

## एक नजर में

### रोटरी क्लब तेजस ग्वालियर का अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम हुआ आयोजित

**ग्वालियर 3 जुलाई.** रोटरी क्लब तेजस ग्वालियर का अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम मोती महल स्थित होटल शेरे पंजाब में आयोजित किया गया। जिसमे रोटरी क्लब के मेंबरों को सेवा कार्यों के लिए सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर पूर्व के विधायक श्रीमान सतीश सिंह सिकरवार एवं ऐजी मनीष चतुर्वेदी, चार्टर्ड प्रेसिडेंट नरेश जैन उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष राकेश जैन, सचिव चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने किया। संस्था के अध्यक्ष अध्यक्ष राकेश जैन, सचिव चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, संजय श्रोतीय अनुराग कुशवाहा सोहन सिंह चौहान जी महेश चंद जैन अमरीश गुप्ता जी विजय खंडेलवाल, जीएस तोमर, आर ऐन स्वर्णकार, किशन गुप्ता, मुनेंद्र यादव, चंदन जायसवाल आदि का अवार्ड से सम्मान किया। वही क्लब के पूर्व अध्यक्षों एवं गणमान्य सदस्यगणा विशेष रूप से उपस्थित थे. इस अवसर पर मुख्य अतिथि सतीश सिकरवार ने कहा कि सेवा के क्षेत्र में क्लब अपनी सेवाएं देता चल रहा है। रोटरी क्लब का हर व्यक्ति लग्न, समर्पण और विश्वास के साथ सेवाकार्यों में समर्पित हे।आपके कार्यों के लिए में स्वयं आपके साथ खड़ा हू और कभी भी मेरी कोई आवश्यकता हो तो में हर समय आपके साथ हूं।

### आज मनाई जाएगी स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि

ग्वालियर। स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई जाएगी। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के अध्यक्ष नूतन श्रीवास्तव ने बताया कि 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि के अवसर पर स्वामी विवेकानंद चौराहा ठाटीपुर पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन जाएंगे। साथ ही युवाओं को उनका साहित्य वितरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद सेवा समिति द्वारा लगातार 8 वर्ष 7 माह से स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर प्रतिदिन माल्यार्पण किया रहा है। इसके साथ समिति द्वारा सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य किए जाते हैं।

### नगरीय समस्याओं को लेकर दिया जायेगा धरना

डबरा। पुराना गाड़ी अड्डा रोड पर कांग्रेस नेता महाराज सिंह राजौरिया के नेतृत्व में नगर की प्रमुख समस्याएं जैसे पुराना गाड़ी अड्डा रोड की खराब हालत, अन्य रोड़ों का पेंचवर्क हेतु, शहर के नाले व डबरा गांव पुलिया का जीर्णोद्धार, नारिया का गहरीकरण, रिटर्निंग वाल, नाले गंदगी से भरे पड़े है, पूरे शहर में अंधेरा व्याप्त है, नियमित सफाई ना होना, मदिरा की दुकानों को शहर से दूर करने आदि समस्याओं को लेकर धरना दिया जाएगा। ज्ञात हो कि राजौरिया के द्वारा पूर्व में भी शहर की खस्ताहाल सड़के व आदि समस्याओं को लेकर जनसुनवाई व वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराए जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उक्त धरना दिया जा रहा है। साथ ही राजौरिया ने शहर व वार्ड की जनता से अनुरोध किया है कि उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु एकजुट होवे।

### ध्वजारोहण के साथ सिद्धचक्र महामंडल विधान का हुआ शुभारंभ

ग्वालियर, 3 जुलाई। फालका बाजार स्थित शांतिनाथ दिगंबर लाल जैन मंदिर में आठ दिवसीय सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ ध्वजारोहण एवं कलश यात्रा के साथ हुआ। आयोजन की शुरुआत मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कुशल जैन के निवास से गाजे-बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा से हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर मंदिर पहुंची। मंदिर प्रांगण में पंडित शुभम जैन शास्त्री के निर्देशन में राजकुमार जैन एवं सुनीता जैन द्वारा ध्वजारोहण कर विधान का शुभारंभ किया गया। मंडप उद्घाटन विनय जैन, राजेश्वरी जैन एवं अभिषेक जैन द्वारा किया गया, जबकि दीप प्रज्ज्वलन बृजेंद्र जैन एवं सुनीता जैन ने किया। इसी क्रम में मंगल कलश की स्थापना सुनील जैन एवं सरिता जैन ने की। विधान के दौरान सौधर्म इंद्र पारस जैन, रेखा जैन, कुबेर इंद्र राकेश जैन, संध्या जैन, मैना सुंदरी विजया जैन, रामकुमार जैन, उषा जैन, निर्मल जैन एवं अमृता जैन ने भगवान की आरती उतारते हुए नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि विधान के प्रथम दिवस भगवान के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ समर्पित किए गए। कार्यक्रम में भजन गायक प्रमोद जैन द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे और वातावरण प्रभु भक्ति में रंग गया।

### मध्यप्रदेश डाक परिमंडल में नवीन शिवपुरी डाक संभाग का गठन

संचार व उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा सिंधिया द्वारा मध्यप्रदेश डाक परिमंडल में नवीन शिवपुरी डाक संभाग का गठन किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा गुना संभाग के शिवपुरी जिले एवं मुरैना संभाग के श्योपुर जिले को मिलाकर शिवपुरी डाक संभाग का गठन किया गया है। इस संभाग के अंतर्गत 01 प्रधान डाकघर, 26 उप डाकघर एवं 340 शाखा डाकघर संचालित होंगे। इस नए संभाग के गठन से डाक व नागरिक केन्द्रित सेवाओं को अधिक ऊर्जा व सक्षम संचालन और गहन विभागीय मानीटरिंग प्राप्त होगी। यह इस क्षेत्र के आमजन की लंबे समय से मांग थी जिसे माननीय संचार मंत्री द्वारा पूर्ण किया गया है। शिवपुरी संभाग के गठन से शिवपुरी एवं श्योपुर जिले में क्षेत्रीय व्यापार एवं ई कामर्स में बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र मे सेवाओं के वित्तीय समावेशन के भारत सरकार के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सकेगी।

## शिविर लगाकर किया आमजन की समस्याओं का निराकरण

ग्वालियर 3 जुलाई. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार जल भराव, सीवर, पेयजल, सड़क, साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं के लिए क्षेत्रीय कार्यालयो पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने आम जनों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित उनका निराकरण किया। समस्याओं के निराकरण कराने के लिए अपर आयुक्त विजय राज, मुनीष सिकरवार, अनिल दुबे सहित संबंधित क्षेत्रों के उपायुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

## क्रेडाई एसोसिएशन के सदस्यों ने की निगमायुक्त से चर्चा

**ग्वालियर 3 जुलाई.** नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने क्रेडाई एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना तथा समस्याओं को निराकरण का पूरा आश्वासन दिया। बैठक में क्रेडाई एसोसिएशन के

अध्यक्ष श्री सुदर्शन झंवर, सचिव श्री शैलेश जैन, श्री विकास गंगवाल, श्री विकास जैन, सिटी प्लानर श्री एपीएस जादौन, नोडल अधिकारी पीआईयू श्री पवन सिंघल आदि उपस्थित रहे।

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने अपने चेंबर में क्रेडाई के सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। जिसमें सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि जब से मास्टर प्लान लागू हुआ है, तब से एक भी बहुमंजिला की परमीशन नहीं हो पा रही है। एफएआर खरीदने की रेट अत्यधिक लगाई गई है। त्रुटिवश रेट 5 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत हो गई है। शासन से इसको सुधार करवाया जाए। अत्यधिक रेट होने के कारण बहुमंजिला इमारत नहीं बन रहीं हैं, अवैध कॉलोनी अधिक बन रहीं हैं। रेट में सुधार होने से अधिक आवास बनेंगे तथा जिससे निगम की आय भी बडेगी। साथ ही सदस्यों ने प्रॉपर्टी टैक्स, भवन अनुमति के लिए एक बडी बैठक रखने के लिए अनुरोध किया। जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहें।

## हजरत अब्बास का यौम-ए-शहादत 8 मोहर्रम, आज मनाया जायेगा

**ग्वालियर 3 जुलाई.** ग्रेटर ग्वालियर मोहर्रम एवं कर्बला इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष अख्तर हुसैन कुरैशी द्वारा 8 मोहर्रम शुक्रवार 4 जुलाई को हजरत अब्बास का यौम-ए-शहादत मनाया जायेगा। वहीं 7 मोहर्रम 3 जुलाई को नया बाजार में नाल साहब की सवारी अनवर उस्ताद, हुजरात रोड बैण्ड मार्केट हन्द्रू उस्ताद लश्कर, हकीम जी का बाड़ा दौलतगंज, मनचली बाबा बहोड़ापुर, निम्बाजी की खोह, घोसीपुरा रेल्वे स्टेशन के पास, रामाजी का पुरा, जटार साहब की गली, लश्कर आदि से सवारी निकाली गई। जिनमें जायरीनों की काफी संख्या में भीड़ रही और लोगों ने अपनी मन्नत व दुआएँ मांगकर सवारी पर हाजिरी दी। वहीं अब आज 8 मोहर्रम 4 जुलाई शुक्रवार को अलम शरीफ का जुलूस निकाला जायेगा जिसमें सभी इमामबाड़ों पर रखे ताजियों पर गश्त करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचेंगे।

ग्रेटर ग्वालियर मोहर्रम एवं कर्बला इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष अख्तर हुसैन कुरैशी एवं पदाधिकारियों के ताजियेदारों एवं अखाड़ेदारों से राफ्ता (सम्पर्क) कर उन्हें समझाइश दी कि शांति सद्भाव के साथ मोहर्रम मनायें। लश्कर, ग्वालियर मुरार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इमाम बाड़ों पर हाजिरी दी। इस दौरान ताजियेदारों ने कमेटी को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन व्यक्त करते हुए अवगत कराया। उन्होंने यौम-ए-शहादत पर कर्बला परिसर में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी। मोहर्रम कमेटी की मांग पर पूर्व कलेक्टर ने ताजिये दफनाने हेतु शासकीय भूमि सागरताल चौराहे से आगे ससुरा रोड़ पर आवंटन की थी। सभी ताजियेदारों से मोहर्रम एवं कर्बला कमेटी ने गुजारशि की है कि सभी बड़े एवं छोटे ताजियों को आवंटित भूमि में ही (सुपुर्दे खाक) दफनाये जायेंगे। क्योंकि सागरताल पर इस वक्त सफाई कार्य के चलते पानी नहीं भरा है। इसलिए ताजियों को सुपुर्दे खाक करने के लिए गड्ढों पर ही जायें।

## शासन की मंशानुसार पदोन्नति के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करें :खत्री

**ग्वालियर 3 जुलाई.** प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति का कर्मचारी हित में निर्णय लिया गया है। शासन की मंशा अनुरूप सभी पात्र शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति मिले, इसके लिये विभागीय अधिकारी समय रहते सभी कार्रवाई पूर्ण करें। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने गुरुवार को संभागीय अधिकारियों की बैठक में उक्त संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग में पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में सभी कार्रवाई समय रहते पूर्ण कर लें। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी श्री अरविंद कुमार शर्मा ने शासन द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संभागीय कार्यालयों, जिला कार्यालयों और प्रदेश स्तरीय कार्यालयों से पदोन्नति के संबंध में क्या ङ्क क्या कार्रवाई की जाना है। दिए गए निर्देशों का पालन समय पर हो, यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग में भर्ती नियम एवं पदोन्नति समिति का गठन करें, आरक्षण रोस्टर तैयार करें, जिले एवं संभाग स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी, कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली की जानकारी के साथ प्राप्त स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों की जानकारी भी तैयार करें। अगले सात दिन के बाद पुन॰ आयोजित समीक्षा बैठक में सभी संभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की जानकारी के साथ उपस्थित रहें। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

### संभागीय कार्यालय ई-ऑफिस से जुड़ें

संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली पूर्व से ही संचालित है। सभी संभागीय अधिकारी भी अपने-अपने ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाएं और संभागीय कार्यालय से भी ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार एवं फाइलों को भेजने की कार्रवाई करें। जो संभागीय कार्यालय अभी तक ई-ऑफिस से नहीं जुड़े हैं, वे शीघ्र सभी कार्रवाई कर ई-ऑफिस से जुड़ें।


### आम सूचना

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री राम सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम गंगापुर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.63 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.508 एवं 515 ग्राम गंगापुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 597 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूमि रामसेवक एवं दीगर, पश्चिम में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में-भूमि स्वामी एवं दक्षिण में-भूखण्ड दीगर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री फेरन सिंह पुत्र श्री छोटा, श्रीमती जल देवी पत्नी श्री देवी, श्री गब्बर, श्री नरेश पुत्रगण श्री देवी, अनीता, ऊषा पुत्रियां श्री देवी एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री फेरन सिंह, श्री गब्बर सिंह, श्री नरेश, श्रीमती जल देवी, श्रीमती अनीता द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती छाया राय पत्नी श्री रवि राय के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र. एमपी 142602022 ए4827368 दिनांक 08.08.2022 को सम्पादित किया गया। श्री फेरन सिंह, श्री गब्बर सिंह, श्री नरेश, श्रीमती जल देवी, श्रीमती अनीता जर्ये मुख्त्यारआम श्रीमती छाया राय द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री राम सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 142602023ए12584712 दिनांक 23.11.2023 से विक्रय की गई। श्री गुलाब सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

### आम सूचना

श्री ओमकार सिंह कुशवाह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह कुशवाह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम गिरवाई, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.65 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1030/1/2 एवं 1030/3 ग्राम गिरवाई का भाग है एवं जिसका 586 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-रास्ता, पश्चिम में-भूखण्ड विक्रेता, उत्तर में-भूखण्ड दीगर एवं दक्षिण में-रास्ता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री गोविन्द सिंह कुशवाह पुत्र श्री गोपाल सिंह कुशवाह एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री गोविन्द सिंह कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री ओमकार सिंह कुशवाह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी142602022ए1698634 दिनांक 29.06.2022 से विक्रय की गई। श्री ओमकार सिंह कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

### संबंध विच्छेद आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार बलराम बाथम पुत्र श्री रामदयाल बाथम आयु 53 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासी - बाथम मोहल्ला मोहना जिला ग्वालियर म.प्र. के दो पुत्र एंव दो पुत्रियां है जिनमें दो पुत्रियों एंव एक पुत्र का विवाह मेरे पक्षकार द्वारा पूर्व में किया जा चुका है एंव एक पुत्र राजेन्द्र बाथम उर्फ सनी पुत्र श्री बलराम बाथम निवासी बाथम मोहल्ला मोहना जिला ग्वालियर म.प्र. का चाल चलन, आचार विचार, ठीक न होने से एंव उसके आपराधिक तत्वों से संबंध होने के कारण मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन राजेन्द्र बाथम उर्फ सनी से अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त कर उससे संबंध विच्छेद कर लिये है राजेन्द्र बाथम उर्फ सनी के किसी भी कृत्य एंव लेन देन संबंधी संव्यवहार के लिये राजेन्द्र बाथम उर्फ सनी स्वंय उत्तरदायी होगा। मेरे पक्षकार व उसके परिवाजन का उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही होगा अतः सूचित हो ।
दिनांक-03/07/2025

भवदीय
बलराम बाथम पुत्र श्री रामदयाल बाथम,
निवासी- बाथम मोहल्ला, मोहना
जिला ग्वालियर म.प्र.
प्रेषक
संजय खान एडवोकेट
कार्यालय :- ताजिया पाठ के पास,सदर बाजार, मोहना,जिला-ग्वालियर (म.प्र.)
मो- 9977338830

### आम सूचना

नाम- मनभर बाई वैष्णव उर्फ मुन्नी बाई
पति का नाम- श्री शम्भूदयाल वैष्णव
आयु- 41 साल
जाति- वैष्णव
व्यवसाय- गृहणी
निवासी- ग्राम सोंईकलां तहसील व जिला श्योपुर
मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं कि :-
1. यह कि मेरे नाम की जीवन बीमा पॉलिसी क्रमांक 200094248, 200076773 है। उक्त बीमा पालिसी में मेरा नाम मनभर बाई वैष्णव अंकित है।
2. यह कि आधार कार्ड व बैंक खाते में मेरा नाम मुन्नी बाई अंकित हैं।
3. यह कि मनभर बाई वैष्णव उर्फ मुन्नी बाई मुझ शपथकर्ता का ही नाम है। कोई अन्य व्यक्ति नही है मुझे उक्त दोनो नामों से जाना जाता है।
4. यह कि मुझे उक्त बीमा पॉलिसी का भुगतान किया जावें। इसमे किसी भी तरह की कोई आपत्ति होती है तो उसकी जबाबदारी मेरी स्वयं की होगी। जिस हेतु यह शपथपत्र पेश है।
शपथपुष्टि :- में शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूं कि इस शपथपत्र की कलम नं 1 लगायत 4 में वर्णित समस्त तथ्य सही एवं सत्य हैं।
स्थान- श्योपुर मध्यप्रदेश
दिनांक 15.05.2025

### आम सूचना

श्री प्रवीण कुमार जैन, श्री अभय कुमार जैन पुत्रगण श्री चंद जैन एवं श्रीमती संगीता जगताप पत्नी श्री प्रमोद जगताप पुत्री स्व. श्री चंद जैन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित नौगजा रोड, डी.डी. मॉल, शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.33 में स्थित है जिसका सम्पत्ति क्र.1000137544 है एवं जिसका क्षेत्रफल 690 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-नौगजा रोड सरकारी, पश्चिम में-भवन दुबे जी, उत्तर में-दुकान एवं माता का मंदिर एवं दक्षिण में-दुकान श्री रामसेवक है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री बलराम पुत्र श्री कल्ला द्वारा श्रीमती हाकिम देवी पत्नी श्री खजान सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4444 दिनांक 15.11.1971 से विक्रय की गई। श्रीमती हाकिम देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री चंद जैन पुत्र श्री गोपीचंद जैन को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.15 दिनांक 05.02.2001 से विक्रय की गई। श्री चंद जैन का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती संगीता जगताप पत्नी श्री प्रमोद जगताप पुत्री स्व. श्री चंद जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन एवं श्री अभय कुमार जैन पुत्रगण श्री चंद जैन उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री प्रवीण कुमार जैन एवं श्री अभय कुमार जैन द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती संगीता जगताप पत्नी श्री प्रमोद जगताप पुत्री स्व. श्री चंद जैन के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र. एमपी21आईजीआर 17402025ए400099327 दिनांक 17.02.2025 को सम्पादित किया गया। श्री प्रवीण कुमार जैन एवं श्री अभय कुमार जैन जर्ये मुख्त्यारआम श्रीमती संगीता जगताप (स्वयं) द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्री जीतेन्द्र तोमर पुत्र श्री हरनारायण सिंह तोमर के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री जीतेन्द्र तोमर द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान एसएमएफजी इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री चंद जैन के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

### आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती दूजा देवी पत्नी श्री कोमल सिंह ने उक्त अचल प्लॉट क्र. 18 स्थित ग्राम भदरौली जिला ग्वालियर में है जो कि सर्वे क्र. 1314/4 का भाग कुल क्षेत्रफल 1380 वर्गफुट है जिसका म्यु. वार्ड क्र. 62 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता के श्रीमती सुलेखा पत्नी श्री आनंद सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ई-रजिस्ट्रेशन नं. एम.पी. 142592019ए1664951 तारीखी 25.09.2019 मे वर्षा राजावत पुत्री श्री रविन्द्र सिंह के द्वारा सम्पादित किया गया। लेकिन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता वर्षा पुत्री श्री रविन्द्र सिंह को काश्त की कृषि भूमि खसरे में पिता रविन्द्र सिंह की मृत्यु होने के पश्चात वारिसान श्रीमती अनीता पत्नी स्व. श्री रविन्द्र सिंह, वर्षा, ललिता पुत्रीगण स्व. श्री रविन्द्र वगैहरा वारिसान की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही । मेरी पक्षकारा श्रीमती दूजा देवी के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है :-पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में-प्लॉट क्र. 15, उत्तर में -प्लॉट क्र. 19, दक्षिण में-प्लॉट क्र. 17 जिसका कुल क्षेत्रफल 1380 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती सुलेखा पत्नी श्री आनंद सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति के विक्रेता वर्षा पुत्री श्री रविन्द्र सिंह ने उक्त अचल प्लॉट क्र. 18 मेरी पक्षकारा के विक्रेता को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को या पूर्व विक्रेता वर्षा पुत्री श्री रविन्द्र सिंह के परिवार सदस्य श्रीमती अनीता पत्नी स्व. श्री रविन्द्र सिंह, ललिता पुत्री स्व. श्री रविन्द्र वगैहरा को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा श्रीमती दूजा देवी पत्नी श्री कोमल सिंह उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 18 का कुल क्षेत्रफल 1380 वर्गफुट को कय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा पीरामल फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है, जो सुचित हो ।
दिनांक 03.07.2025
स्थान- ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

### आम सूचना

श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री प्रकाशचंद जैन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र .08 सम्पूर्ण एवं भूखण्ड क्र.04 व 09 का भाग, स्थित ग्राम सालूपुरा, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 66 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 76/2/1/2, 76/2/1/1, 61/2/2/2 61/2/2/1, 116/2/1/1/1, 236, 265 एवं 267 ग्राम सालूपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में-भूमि विक्रेता, उत्तर में-भूखण्ड जीतेन्द्र एवं दक्षिण में-भूखण्ड है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री हरचरन, श्री शिव सिंह, श्री प्रभू श्री बेताल सिंह एवं श्री पप्पू पुत्रगण श्री हरभजन सिंह, सरमनिया एवं गौरा पुत्रियां श्री मंगलिया के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। सरमनिया का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री भगवान सिंह, श्री मोतीराम, श्री लखन सिंह, श्री उत्तम सिंह, श्री छोटेलाल एवं श्री काशीराम पुत्रगण स्व. श्री कमलाराम एवं सुनीता पुत्री स्व. श्री कमलाराम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री लाखन सिंह द्वारा सम्पत्ति 1.8960 हैक्टेयर श्री रामवीर, श्री दीपचंद कुशवाह, श्री नरेश कुशवाह एवं श्री रामनिवास पुत्रगण श्री हरचरन कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 142602022ए11161014 दिनांक 22.11.2022 से विक्रय की गई। श्री रामवीर, श्री दीपचंद कुशवाह, श्री नरेश कुशवाह एवं श्री रामनिवास द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री प्रकाशचंद जैन को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी21 आईजीआर 17402024ए100085427 दिनांक 27.12.2024 से विक्रय की गई। श्री अभिषेक जैन द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को एवं सरमनिया के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

### आम सूचना

श्रीमती गीता श्रोति पत्नी श्री भानूप्रताप श्रोति के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 843, स्थित मन्नू की बगिया (प्रगति नगर), ग्राम आहूखानाकलां, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.02 में स्थित है जिसका सम्पत्ति क्र.1000117292 है जो भूमि सर्वे क्र.484 एवं 497 ग्राम आहूखानाकलां का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 106.68 वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में- सम्पत्ति जादौन, पश्चिम में-सम्पत्ति प्रेमादेवी सक्सैना, उत्तर में-भवन की तरफ जाता हुआ रास्ता एवं दक्षिण में-सूर्य नगर कॉलोनी है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती कमलेश पत्नी श्री गिरेन्द्र सिंह द्वारा श्री राममोहन सक्सैना पुत्र श्री जे.पी.सक्सैना को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4049 दिनांक 14.02.1990 से विक्रय की गई। श्री राममोहन सक्सैना द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री अमित जैन पुत्र श्री एस.पी.जैन एवं श्री धीरेन्द्र जैन पुत्र श्री सगुनचंद्र जैन को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.219 दिनांक 12.04.2012 से विक्रय की गई। श्री अमित जैन एवं श्री धीरेन्द्र जैन द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती गीता श्रोति पत्नी श्री भानूप्रताप श्रोति को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 142602024ए1494067 दिनांक 22.04.2024 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 14.02.1990 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्रीमती गीता श्रोति द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार बन्धन बैंक लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, बैंक अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 14.02.1990 की मूलप्रति प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

### नाम परिवर्तन

देवेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री रणधीर सिंह कुशवाह निवासी- ग्राम व पोस्ट अतरसूमा, जिला भिण्डम.प्र. सूचित करता हूं की मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड मे मेरी पुत्री का नाम भूलवश शिखा (SHIKHA) दर्ज हो गया है जबकी मेरी पुत्री का सही नाम शिखा कुशवाह (SHIKHA KUSHWAH) है अत: भविष्य में मेरी पुत्री को शिखा कुशवाह (SHIKHA KUSHWAH) जाना व पहचाना जावे सूचित हो
AFFIDAVIT BM889365
Date 02/07/2025

### नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति ने अपनी एक LIC पॉलिसी करवाई जिसका क्रमांक **203488705** है, उसमें मेरा नाम नॉमिनी में **सावित्री** लिखवा दिया था। जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम **साबो बाई** है और भविष्य में भी मुझे इसी नाम से जाना पहचान जाये ।

सूचनाकर्ता
साबो बाई ग्राम- टेकना, पोस्ट - जवधेश्वर
जिला- श्योपुर
मोबा.- 7770978097

### In The Court Of XV Civil Judge Class-I, District Court, Gwalior

Presiding Officer: भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय
उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक /
(MIC SUC/0000043/2025)
रमा चतुर्वेदी........... आवेदक
सर्वसाधारण.. ......... अनावेदक
Process Id-73/2025
पेशी दिनांक :- 30/07/2025
प्रेषिती- (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमा चतुर्वेदी पता ने मृतक बद्री प्रसाद निवासी खासगी बाजार मोटे गणेश जी के पास लश्कर ग्वालियर को चेतन मिश्रा SBI बैंक शाखा जीवाजी चौक लश्कर ग्वालियर राशि/ सम्पत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 30 July 2025 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 30 July 2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। आज तारीख 28 June 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

(भूपेन्द्र सिंह कुशवाह)
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश
वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें :-
टिप्पणी :- 1.यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

### आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार में विक्रेता श्रीमती बैनी बाई उर्फ बैना बाई पुत्र स्व. श्री खुमान सिंह कुशवाह पुत्री श्री मदन सिंह कुशवाह निवासी गोल पहाड़िया बिजली घर के पास लश्कर ग्वालियर के स्वत्व स्वामित्व एंव आधिपत्य का प्लॉट स्थित वीरपुर लश्कर ग्वालियर में है जिसका नगर पालिक वार्ड क्रमांक 65 है। जो ग्राम वीरपुर के भूमि सर्वे क्रमांक 592/1/2 सर्वे क्रमांक 592/1/3, सर्वे क्रमांक 592/2/1, सर्वे क्रमांक 592/2/2. सर्वे क्रमांक 592/3/2, सर्वे क्रमांक 592/3/3, सर्वे क्रमांक 592/3/4, सर्वे क्रमांक 593/1/1, सर्वे क्रमांक 593/1/2, सर्वे क्रमांक 593/1/3, सर्वे क्रमांक 594/1, सर्वे क्रमांक 594/2, सर्वे क्रमांक 595, सर्वे क्रमांक 596/1, सर्वे क्रमांक 596/2/1, सर्वे क्रमांक 596/2/2, सर्वे क्रमांक 596/2/3, सर्वे क्रमांक 596/2/4 सर्वे क्रमांक 597/1/1, सर्वे क्रमांक 597/1/2 सर्वे क्रमांक 597/2 सर्वे क्रमांक 598/1/1, सर्वे क्रमांक 599/1, सर्वे क्रमांक 599/2 सर्वे क्रमांक 599/3, सर्वे क्रमांक 600, सर्वे क्रमांक 601/1, सर्वे क्रमांक 601/2, सर्वे क्रमांक 601/3, सर्वे क्रमांक 601/4, कुल किता 31 कुल रकवा 1.0150 हेक्टयर भूमि में श्रीमती बैनी बाई उर्फ बैना बाई का हिस्सा 1214 वर्गफुट 112.82 वर्गमीटर है को क्रय करने का अनुबंध दिनांक 12/03/2025 को किया है जिसका निकट भविष्य में विक्रय पत्र सम्पादित होना शेष है। इस कारण सर्वसाधारण, बैंक, संस्था, निकाय, निगम, प्रा. फाइनेन्सर आदि को सूचित किया जाता है कि उक्त भवन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय पर उपस्थित होकर अपनी लेखीय आपत्ति प्रस्तुत करें समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे पक्षकार के हितों के मुकाबले मिथ्या होकर शून्य समझी जावेगी तथा मेरे पक्षकार विक्रय पत्र सम्पादित करा लेवेगा.
दिनांक 03.07.2025

भवदीव
जी डी गुप्ता एडवोकेट
कार्या. निवास- जैन मंदिर के पास चितेरा ओली माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.

### नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
#### भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 17, वार्ड क्रं 39, स्थान बाई साहब की परेड ग्वा0 पर स्थित है जो कि भैरव सिंह/स्व. श्री पदम सिंह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं. 7003281368 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 379.9 वर्गफुट है। संपत्ति नगर निगम क्षेत्र स्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602022ए1913571 दिनांक 06.09.2022 हकत्याग द्वारा प्राप्त हुई है। सम्पत्ति के दस्तावेज मेरे द्वारा जनमित्र केन्द्र पर दिनांक 03.07.2025 को जमा करा दिया गया है। जिसका आवेदक बजरंग सिंह,इन्द्र सिंह/पदम सिंह नाम एवं कार्य क्रं 71/2010/57823/58016 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटि सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक. 03.07.2025

आवेदक-बजरंग सिंह,इन्द्र सिंह/स्व. श्री पदम सिंह, पता-बाई साहब की परेड ग्वा0, मो0-9617929179

### नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 10, वार्ड क्रं 21,स्थान फ्लैट भाऊ साहेब पोतनीस एक्लेव फेस-1 रेसकोर्स रोड एम.आई.टी. एस कॉलेज के पीछे ग्वा0 मे स्थित है जो कि सम्पदा अधिकारी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1298.8 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142592018ए1634628 दिनांक 12.09.2018 से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सैनिक पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड, क्षे.क्र 10, पर दिनांक 30.06.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्र 67/2010/63945/63987 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक 03.07.2025

आवेदक-रामविलास शाक्य/श्री पति शाक्य,पता-फ्लैट भाऊ साहेब पोतनीस एक्लेव फेस-1 रेसकोर्स रोड एम.आई.टी.एस कॉलेज के पीछे ग्वा0

### नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
#### भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 16, वार्ड क्रं 41,भवन क्रं 325, स्थान 03 सन साइन टावर ग्वा0 पर स्थित है जो कि दिव्या नैनानी/नवीन नैनानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं. 1000184343 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 697 वर्गफुट है। संपत्ति नगर निगम क्षेत्र स्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12580670 दिनांक 22.11.2023 द्वारा प्राप्त हुई है। सम्पत्ति के दस्तावेज मेरे द्वारा जनमित्र केन्द्र पर दिनांक 19.06.2025 को जमा करा दिया गया है। जिसका आवेदक श्रीमती लक्ष्मी झा/श्री निर्भय कान्त नाम एवं कार्य क्रं 81/2010/37775/59994 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटि सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
विज्ञप्ति जारी दिनांक. 03.07.2025

आवेदक-श्रीमती लक्ष्मी झा/श्री निर्भय कान्त, पता-03 सन साइन टावर ए.बी रोड लश्कर ग्वा0

### नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
#### भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 21 भवन क्रमांक ... स्थान बैंक कॉलोनी में स्थित है जो कि सुचेता काटे/श्रीकांत काटे के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000154568 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ... दिनांक ... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र रेसकोर्स रोड पर दिनांक 30/06/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 67/2010/63947/63989 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 30-06-2025
आवेदक का नाम/पता
संजय सिंह/महाराज सिंह
पता : बैंक कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.